

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 14 जुलाई, 2021

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम में उल्लेखित राज्य के 09 जिलों की 18 नगर निकायों के उप चुनाव जुलाई-अगस्त, 2021 के लिये मतदान दिनांक 26.07.2021 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात् दिनांक 24.07.2021 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 26.07.2021 को सायं 6.00 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

E-mail : secraj@rajasthan.gov.in, Ph./Fax : 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2021/ 3152

दिनांक : 14.07.21

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(नगरपालिका) अजमेर, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़ और पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(Handwritten Signature)

(अशोक कुमार जैन)

उप सचिव